न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान गणेशा राम बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या ..63/2025
निर्णय दिनांक ......09/07/2025....

गणेशा राम पुत्र भाणुराम जाति मेघवाल निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट., 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 54 के खसरा सं. 309/38 तादादी 1.7071 हैक्ट. में भूलवश वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम पपूराम दर्ज है, जो गलत है। जबकि वादी का सही नाम गणेशा राम है। वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड में वादी का नाम गणेशा राम दर्ज है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान व भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 54 के खसरा सं. 309/38 तादादी 1.7071 हैक्ट. में वादी का नाम गणेशा राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम पपूराम व गणेशा राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाये गये। वादी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य वादी में गवाह प्रहलाद पुत्र सागरमल जाति प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01 तारानगर ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शपथ पत्र के अुनसार वादी का नाम गणेशा राम है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड मे वादी का नाम गणेशा राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम पपूराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 54 के खसरा सं. 309/38 तादादी 1.7071 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम पपूराम Delete कर इसके स्थान पर गणेशा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)